



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

22 वैशाख 1942 (श0)
(सं0 पटना 289) पटना, मंगलवार, 12 मई 2020

बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद

अधिसूचना

30 नवम्बर 2019

सं० 1761— पटना जिलान्तर्गत केडिया धर्मशाला, वार्ड नं०- 13, मोलदियार टोला, मोकामा, जिला- पटना पर्षद के अन्तर्गत निबंधित एक सार्वजनिक धार्मिक न्यास है, जिसकी निबंधन सं०- 4250 है।

पर्षद को वर्ष 2012 में एक आवेदन श्री बृज नन्दन सिंह के माध्यम से प्राप्त हुआ, जिसमें केडिया धर्मशाला को पर्षद में निबंधित करने का अनुरोध किया गया है। प्राप्त सूचना के आधार पर पर्षदीय पत्रांक- 1344, दि०- 01/10/12 द्वारा श्री भोला केडिया, श्री विश्वनाथ केडिया को पत्र निर्गत किया गया। उक्त पत्र के अनुपालन में श्री भोला केडिया ने सूचित किया कि केडिया धर्मशाला इनके पिता विश्वनाथ केडिया द्वारा निर्मित किया गया था। यह धर्मशाला सार्वजनिक उपयोग के लिए निर्मित की गयी थी। श्री भोला केडिया के प्रतिवेदन के आलोक में पर्षदीय पत्रांक- 68, दि०- 08/04/13 द्वारा उन्हें न्यास का निबंधन कराने हेतु पत्र निर्गत किया गया। न्यास का निबंधन पर्षदीय आदेश दि०- 19/01/13 के आलोक में किया गया। न्यास की व्यवस्था हेतु पर्षदीय पत्रांक- 1655, दि०- 15/11/17 द्वारा अंचलाधिकारी, मोकामा से न्यास समिति गठन के बिन्दु पर मतव्य की मांग की गयी। अंचलाधिकारी, मोकामा का पत्रांक- 62, दि०- 20/01/18 पर्षद को प्राप्त हुआ। इसमें न्यास समिति गठन हेतु ग्यारह सदस्यों का नाम तथा चरित्र-सत्यापन की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित की गयी। चरित्र-सत्यापन प्रतिवेदन में उल्लेखित किया गया कि उपरोक्त व्यक्तियों के बारे में थाना अभिलेख के सी०डी० पार्ट- 2 एवं अल्फावेटिकल का अवलोकन किया। इन सबके विरुद्ध प्रतिकूल टिप्पणी दर्ज नहीं है।

उपरोक्त तथ्यों पर विचारोपरान्त अंचलाधिकारी, मोकामा द्वारा प्राप्त प्रस्तावित 11 सदस्यों में से 10 सदस्यों की न्यास समिति के गठन का निर्णय लिया गया।

अतः बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम 1950 की धारा- 32 में धार्मिक न्यास पर्षद को प्रदत्त अधिकार जो बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम की उप विधि सं०- 43 (द) के तहत अध्यक्ष को प्राप्त है, का प्रयोग करते हुए “केडिया धर्मशाला, वार्ड नं०- 13, मोलदियार टोला, मोकामा, जिला- पटना” के सुचारु प्रबंधन, सम्पत्तियों की सुरक्षा तथा सम्यक विकास के लिए नीचे लिखे योजना का निरूपण तथा इसे मूर्त रूप देने के लिए एक न्यास समिति गठित की जाती है।

योजना

1. अधिनियम की धारा- 32 के तहत निरूपित इस योजना का नाम “केडिया धर्मशाला न्यास योजना, वार्ड नं०- 13, मोलदियार टोला, मोकामा, जिला- पटना” होगा तथा इसके कार्यान्वयन एवं संचालन के लिए गठित न्यास समिति का नाम “केडिया धर्मशाला न्यास समिति, वार्ड नं०- 13, मोलदियार टोला, मोकामा, जिला- पटना” जिसमें न्यास की समग्र चल-अचल संपत्ति के संधारण एवं संचालन का अधिकार निहित होगा।

2. इस न्यास समिति का मुख्य कर्तव्य न्यास की संपत्ति की सुरक्षा एवं सुसंचालन तथा मंदिर की परम्परा एवं आचारों के अनुकूल पूजा-पाठ एवं साधु-सेवा की समुचित व्यवस्था करना होगा।
3. न्यास की समस्त आय न्यास के नाम से किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता खोलकर जमा किया जायेगा तथा सचिव एवं कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर से इसका संचालन होगा।
4. न्यास की आय-व्यय में आर्थिक शुचिता एवं पारदर्शिता रखना न्यास समिति की असली कसौटी होगा।
5. न्यास समिति अधिनियम एवं उप-विधि में वर्णित सभी नियमों का पालन करते हुए प्रतिवर्ष न्यास के आय-व्यय की विवरणी, अंकेक्षण प्रतिवेदन, कार्यवृत्त, पर्षद शुल्क आदि सम्यक रूप से पर्षद को प्रेषित करेगी।
6. अध्यक्ष की अनुमति से सचिव न्यास समिति की बैठक आहूत करेंगे। न्यास समिति की बैठक प्रत्येक तिमाही में एक बार अवश्य बुलाई जायेगी और बैठक की कार्यवृत्त पर्षद को प्रेषित की जायेगी।
7. न्यास समिति द्वारा कोई नयी योजना न्यास हित में आवश्यक समझी जाये, तो इस हेतु निर्धारित विशेष बैठक में प्रस्ताव पारित कर पर्षद के अनुमोदन के लिए भेजेगी।
8. न्यास समिति न्यास की अतिक्रमित/हस्तारित भूमि "यदि कोई हो तो", उसकी वापसी के लिए समुचित वैधानिक कार्रवाई करेगी।
9. इस योजना में परिवर्तन, परिवर्द्धन या संशोधन तथा आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति का अधिकार पर्षद में निहित होगा।
10. न्यास समिति के कोई सदस्य प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से न्यास से लाभ उठाते पाये जायेंगे या न्यास हित के प्रतिकूल कार्य करेंगे, तो इस संबंध में उनसे स्पष्टीकरण प्राप्त कर समुचित कार्रवाई की जाए
11. न्यास समिति के किसी सदस्य की आपराधिक पृष्ठभूमि होगी या वे आपराधिक काण्ड में आरोप-पात्रित होंगे, तो उनकी अर्हता स्वतः समाप्त हो जायेगी।

पर्षद द्वारा निरूपित योजना को मूर्त रूप देने के लिए निम्नलिखित सदस्यों की न्यास समिति गठित की जाती है:-

- | | |
|---|----------------|
| 1. अंचलाधिकारी, मोकामा, जिला- पटना | — पदेन अध्यक्ष |
| 2. श्री भोला केडिया, पिता- स्व० विश्वनाथ केडिया
वार्ड नं०- 13, लहेरिया टोला, मोकामा, जिला- पटना। | — उपाध्यक्ष |
| 3. श्री बृजानंदन सिंह, मो०- 8434632440
पिता- स्व० रामाश्रय सिंह, वार्ड नं०- 15, पंचायन टोला, मोकामा, जिला- पटना। | — सचिव |
| 4. श्री श्यामली प्र० उर्फ पप्पु, मो०- 8539016505
पिता- स्व० अनिल देव सिंह, वार्ड नं०- 13, मोलदियार टोला, मोकामा, जिला- पटना। | — कोषाध्यक्ष |
| 5. श्री आनंद कुमार, मो०- 8603008500,
पिता- विजय सिंह, वार्ड नं०- 13, मोलदियार टोला, मोकामा, पटना। | — सदस्य |
| 6. श्री रामप्रवेश सिंह, मो०- 8678005226
पिता- स्व० राम नन्दन सिंह, वार्ड नं०- 13, मोलदियार टोला, मोकामा, पटना। | — सदस्य |
| 7. श्री विनय मास्टर, मो०- 9472839573
पिता- स्व० सिंघेश्वर सिंह, वार्ड नं०- 13, मोलदियार टोला, मोकामा, पटना। | — सदस्य |
| 8. श्री राजकुमार राम, मो०- 9549501066
पिता- स्व० दुखी राम, लहेरिया टोला, मोकामा, पटना। | — सदस्य |
| 9. श्री भागीरथ सिंह, मो०- 9204609526
पिता- स्व० निलकण्ठ सिंह, वार्ड नं०- 15, मोकामा, पटना। | — सदस्य |
| 10. श्री सम्पत सिंह, मो०- 9155915367
पिता- स्व० जागेश्वर सिंह, मोलदियार टोला, मोकामा, पटना। | — सदस्य |

उपरोक्त वर्णित न्यास समिति का कार्यकाल पर्षदीय आदेश की तिथि से 05 वर्षों का होगा।
नोट:- न्यास समिति/पदाधिकारी/सदस्य न्यास की कोई भी सम्पत्ति/भूमि का हस्तान्तरण/बदलैन/विक्रय/पट्टा/लीज आदि पर देने या किसी प्रकार से न्यास सम्पत्ति का दुरुपयोग करने का अधिकार नहीं होगा। अगर वे ऐसा करते हैं तो शुन्य वो अवैध होगा। न्यास समिति के विरुद्ध विधि-सम्मत कार्रवाई की जा सकती है।

आदेश से,
अखिलेश कुमार जैन,
अध्यक्ष।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 289-571+10-डी०टी०पी०।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>